संख्या-15/2023/59/001-23-10-23-47-सामान्य-2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 17 जनवरी,2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत अलीगढ़ क्षेत्र के 03 चालू कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-2717/सी0ई0/आर0वाई0बी0/ए0एल0आई0/2022-23 दिनांक 07-01-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत अलीगढ़ क्षेत्र के कुल 03 चालू सेतु के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्यों के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल धनराशि रू0 125.27 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख सत्ताइस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र सं | क्षेत्र का नाम | खण्ड/जनपद | मार्ग का नाम | स्वीकृत मूल लागत | दिनांक 31.3.2022 तक आवंटन | दिनांक 01.04.2022 को अवशेष | बचत | वर्ष 2022-23 आवंटन | अद्यतन अवशेष | वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | अनुदान सं0-57 | अनुदान सं0-83 | योग (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | अलीगढ़ | प्रा.ख. अलीगढ़ | जनपद अलीगढ़ में मुहम्मदपुर बढेरा एवं चकाथल गारमों के मध्य नीम नदी पर बौक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य। | 275.49 | 68.87 | 206.62 | 8.00 | 173.35 | 25.27 | **19.91** | **5.36** | **25.27** |
| 2 | अलीगढ़ | प्रा.ख. एटा | जनपद एटा में जी0टी0 मार्ग से भदों मार्ग के किमी-1 में आर.सी.सी. बाक्स कल्वर्ट का नव निर्माण कार्य। | 76.47 | 12.00 | 64.47 | 4.11 | 0.00 | 60.36 | **31.52** | **8.48** | **40.00** |
| 3 | अलीगढ़ | प्रा.ख. एटा | जनपद एटा में सोरख कुसमरा सोरों कादर गंज पटियाली बदायूं मार्ग के किमी-89.00 में सकरे पुल के स्थान पर नये सेतु के निर्माण कार्य। | 128.29 | 12.00 | 116.29 | 2.45 | 0.00 | 113.84 | **47.27** | **12.73** | **60.00** |
| | | | **योगः-** | **480.25** | **92.87** | **387.38** | **14.56** | **173.35** | **199.47** | **98.7** | **26.57** | **125.27** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवमुक्त कुल धनराशि रू0 125.27 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख सत्ताइस हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 98,70,000(रुपये अटठानबे लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखाशीर्षक 5054041010 421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 26,57,000 (रुपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-15/2023/59/001-23-10-23-47-सामान्य-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।